Statement

Externally Aided Projects in Maharashtra (As on 1.4.1997)

Sl. No.	Name of the Project	Donor
1.	Maharashtra Rural Water Supply	World Bank
2.	Maharashtra Forestry	World Bank
3.	IInd Technician Education	World Bank
4.	Maharashtra Earthquake Relief Project	World Bank
5.	Maharashtra Power I	World Bank
6.	Maharashtra Power II	World Bank
7.	Mumbai Sewerage Disposal	World Bank
8.	National Hydrology Project	World Bank
9.	Maharashtra Rural Credit	IFAD
10.	Ghatghar Pumped Storage	Japan
11.	Ajanta Verul Development	Japan
12.	Maharashtra Rural Water Supply	UK
13.	Maharashtra Earthquake Rehabilitation Grant	UK
14.	Maharashtra Water Control System	EEC
15.	Maharashtra SEB-Uran II&III	Germany
16.	2nd Mumbai Urban Transport	World Bank
17.	2nd National Highway	World Bank
18.	Chandrapur padhaghe Bipole HVDC	Sweden
19.	Mumbai Urban & Resettlement Project	World Bank
20.	Saline Land Reclamation Project-II	EEC
21.	Majalgaon Irrigation Project	France
22.	Fresh Water Prawn Hatchery	France
23.	Watershed Development Project I&II	Germany
24.	Basic Health Programme	Germany

गुजरात की सीमावर्ती जिलों के लिए स्वीकृत राशि

1054. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ल:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में गुजरात के सीमावर्ती जिलों कच्छ और बनासकांठा में सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए कितनी राशि आवंटित की गई तथा मंजूर की गई और इसके उपयोग/वापस किये जाने का ब्यौरा क्या है;

(ख) जलापूर्ति, सड़क, स्वास्थ्य, विद्युत तथा कुल साक्षरता जैसी मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए कितनी प्रतिशत राशि खर्च की गई;

(ग) क्या खर्च की गयी राशि दिशा-निर्देशों/प्राथमिकताओं तथा स्थानीय जनसंख्या की आवश्यकताओं के अनुरूप थी;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम की प्रगति की निगरानी के लिए कोई एजेंसी है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला देहरेश्वर सावनूर): (क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में गुजरात के सीमावर्ती जिलों कच्छ और बनासकाठा में सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए आबंटित की गई तथा मंजूर की गई राशि और इसके उपयोग किए जाने का ब्यौरा निम्नलिखित है:—

(लाख रुपये)

वर्ष	आबंटित/मंजूर अनुदान	दिनांक 30.6.1997 तक उपयोग किया गया अनुदान
1994-95	793.33	811.06
1995-96	858.00	737.44
1996-97	858.00	378.07

(ख) जलापूर्ति सड़क, स्वास्थ्य, विद्युत तथा कुल साक्षरता जैसी मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए खर्च की गई राशि का प्रतिशत नीचे दिया गया है:—

(लाख रुपये)

क्षेत्र	जारी की गई निधियां	व्यय	खर्च की गई राशि का प्रतिशत
सड़क	1086.37	1024.34	94.29
स्वास्थ्य	254.00	138.57	54.56
जलापूर्ति	467.18	243.97	52.22
विद्युत	300.00	229.50	76.34
कुल साक्षरता	शून्य	शून्य	शून्य
कुल	2108.19	1636.38	77.62

(ग) जी हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) राज्य स्तर पर, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में छानबीन समिति प्रत्येक तिमाही प्रगति की समीक्षा करती है तथा राज्य सरकार उस प्रगति रिपोर्ट की योजना आयोग के समक्ष प्रस्तुत करती है। कार्यक्रम संबंधी नीतिगत मामलों पर योजना आयोग में एक अधिकार प्राप्त समिति द्वारा विचार किया जाता है।

Revamping of Self-Employment Schemes

1055. SHRI RAJ NATH SINGH: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government propose to thoroughly revamp the various self employment schemes, to make them more effective and acting as catalyst in tackling massive unemployment problem in the country;

(b) if so, the directives issued by Government in this regard; and

(c) by when a final decision to revamp them is likely to be taken?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRIMATI RATANAMALA DEHARSHWAR SAVANOOR): (a) to (c) Government proposes to revamp and redesign the various Centrally Sponsored Schemes of self-employment to make them more effective. In this regard, a Committee was set up under the chairmanship of prof. S.R. Hasim, Member, Planning Commission to Review & Rationalise Centrally Sponsored Schemes of Poverty Alleviation and Employment Generation. The Committee has since submitted its reports, which is under the active consideration of the Government.